

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :—1/पी०एम०सी०/विविध/477/11—

/राँची, दिनांक :—.....

आदेश

झारखण्ड PWD Code 2012 प्रासंगिक अधिसूचना एवं गजट द्वारा प्रकाशित हो चुका है। झारखण्ड PWD Code 2012 इन्टरनेट के Website <http://Jharkhand.gov.in/> पर Road Construction Department के Publication के अर्तगत Rule पर अधिसूचना, गजट तथा Jharkhand PWD Code 2012 उपलब्ध है।

उक्त Code के प्रावधानों के आलोक में सभी विभागीय कार्यों जैसे निविदा एवं विभागीय अधिकारियों के दायित्वों एवं शक्तियों इत्यादि के संबंध में नये निदेश हैं। इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी PWD Code 2012 के प्रावधानों से अवगत हो लें। इस नये Code के प्रावधानों की जानकारी नहीं होने के कारण किसी प्रकार की अनियमितता होने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

ह०/—  
(एस०के०सत्पथी)  
प्रधान सचिव  
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :—1/पी०एम०सी०/विविध/477/11—

1234

/राँची, दिनांक :—06.11.2012

प्रतिलिपि :— विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण/प्रबंधन), जल संसाधन विभाग/उप सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार/सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई तथा यांत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार/सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग झारखण्ड सरकार/सभी प्रमण्डलीय लेखापदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/प्रबंध निदेशक (झालको), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/बेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को प्रकाशनार्थ।

लिखा  
(एस०के०सत्पथी)  
प्रधान सचिव